

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
अन्य												
अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान												
8. आईएमएफ, दिल्ली की किराया लागत में अंशदान	...	...	...	0.29	...	0.29	0.58	...	0.58	0.30	...	0.30
9. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)	124.32	...	124.32	139.20	...	139.20	139.20	...	139.20	139.20	...	139.20
10. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:	100.61	...	100.61	126.48	...	126.48	128.64	...	128.64	108.83	...	108.83
11. एएफडीएफ के एमडीआरआई के प्रति अंशदान												
11.01 सकल बजटीय सहायता	4.79	...	4.79	4.84	...	4.84	4.84	...	4.84	4.84	...	4.84
11.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-4.79	...	-4.79	-4.84	...	-4.84	-4.84	...	-4.84	-4.84	...	-4.84
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. आईडीए को अंशदान												
12.01 सकल बजटीय सहायता	582.67	...	582.67	582.67	...	582.67	582.67	...	582.67	582.67	...	582.67
12.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-582.67	...	-582.67	-582.67	...	-582.67	-582.67	...	-582.67	-582.67	...	-582.67
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. अफ्रीका डिजिटल वित्तीय समावेशन सुविधा में अंशदान (एडीएफआई)	16.59	...	16.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (अंतरराष्ट्रीय अंशदान)	77.32	...	77.32	81.31	...	81.31	80.67	...	80.67	85.66	...	85.66
15. एशियाई विकास निधि में अंशदान-13												
15.01 सकल बजटीय सहायता	89.15	...	89.15	89.15	...	89.15	89.15	...	89.15	...	...	...
जोड़-अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान	407.99	...	407.99	436.43	...	436.43	438.24	...	438.24	333.99	...	333.99
16. एशियाई विकास निधि में अंशदान-14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	121.00	...	121.00
अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान												
17. एएफडीएफ के लिए अंशदान												
17.01 सकल बजटीय सहायता	103.99	...	103.99	52.38	...	52.38	52.38	...	52.38	...	...	...
17.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-103.99	...	-103.99	-52.38	...	-52.38	-52.38	...	-52.38	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. एसएआरटीटीएसी को अंशदान	100.00	...	100.00	112.50	...	112.50	107.84	...	107.84	217.50	...	217.50
19. एसईईटीएफ के लिए अंशदान	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
20. क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) को योगदान	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
21. महामारी रोकथाम, तैयारी और रिस्पांस के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि (पीपीपीआरएफआईएफ) (महामारी निधि)	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान	100.00	...	100.00	112.53	...	112.53	107.87	...	107.87	217.53	...	217.53
22. उधार के लिए नई व्यवस्था												
22.01 सकल बजट	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
22.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
23. मुद्रा, सिक्का और टकसाल												
23.01 एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	...	337.95	337.95	...	1038.00	1038.00	...	1038.00	1038.00	...	1038.00	1038.00
23.02 वसूलियां घटाएं	...	-337.95	-337.95	...	-1038.00	-1038.00	...	-1038.00	-1038.00	...	-1038.00	-1038.00
निबल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24. आरक्षित निधि												
24.01 गारंटी मोचन निधि	...	...	...	...	...	...	10000.00	...	10000.00	0.01	...	0.01
24.02 गोल्ड आरक्षित फंड	3552.80	...	3552.80	8551.00	...	8551.00	28605.73	...	28605.73	697.19	...	697.19
24.03 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि	5000.00	...	5000.00	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़- आरक्षित निधि	8552.80	...	8552.80	8551.00	...	8551.00	38605.74	...	38605.74	697.21	...	697.21
25. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग												
25.01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन / बैठक हेतु व्यय (त्रिक्स/सार्क/इंटरनेशनल करप्शन इंटरस एलायंस/मया विकास बैंक/ एससीओ) और जीआईजेड के लिए सेवा कर)	20.00	...	20.00	24.03	...	24.03	24.03	...	24.03	24.03	...	24.03
26. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश												
26.01 आईएफआई में निवेश	...	7309.77	7309.77	...	1406.51	1406.51	...	1539.22	1539.22	...	61291.71	61291.71
26.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि (एडीबी / एफ, एएफडीबी / एफ, आईएमएफ)	...	-6922.15	-6922.15	...	-1000.00	-1000.00	...	-1132.72	-1132.72	...	-61000.01	-61000.01
26.03 घटाइए- वसूलियां घटाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निबल	...	387.62	387.62	...	406.51	406.51	...	406.50	406.50	...	291.70	291.70
27. अन्य व्यय												
27.01 कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर व्याज भुगतान और सरकारी खाते में जमा हुई लावारिस प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान।	0.03	...	0.03	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
27.02 संरक्षित बचत योजनाएं	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
27.03 अन्य सामान्य आर्थिक सेवा के अंतर्गत अन्य व्यय	79.22	...	79.22	178.71	...	178.71	75.00	...	75.00	83.52	...	83.52
27.04 नई योजनाएं	...	...	...	...	62592.88	62592.88	...	9068.29	9068.29	0.01	41700.00	41700.01
27.05 गोल्ड मुद्राकरण योजना 2015 के लिए कमीशन	43.66	...	43.66	46.00	...	46.00	36.07	...	36.07	39.67	...	39.67
जोड़- अन्य व्यय	122.95	...	122.95	224.78	62592.88	62817.66	111.14	9068.29	9179.43	123.27	41700.00	41823.27
28. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण	7.34	...	7.34	10.00	...	10.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
29. सरकारी कर्मचारी को ऋण												
29.01 गृह निर्माण अग्रिम	...	132.97	132.97	...	165.00	165.00	...	165.00	165.00	...	170.00	170.00
29.02 मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	...	...	...	...	0.24	0.24	...	0.24	0.24	...	0.14	0.14
29.03 कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	...	45.17	45.17	...	59.76	59.76	...	59.76	59.76	...	54.86	54.86
29.04 घटाएं प्राप्ति	...	-118.83	-118.83	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00
निबल	...	59.31	59.31	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
30. लघु बचत योजनाएं	6.27	...	6.27	7.00	0.04	7.04	6.50	0.02	6.52	6.63	0.04	6.67
31. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
32. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना												
32.01 स्वर्ण जमा	...	1896.79	1896.79	...	1530.00	1530.00	...	1893.50	1893.50	...	2082.85	2082.85
32.02 वसूलियां घटाएं	...	-1624.41	-1624.41	...	-1530.00	-1530.00	...	-1893.50	-1893.50	...	-2082.85	-2082.85
निवल	...	272.38	272.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएफएस) द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती	...	34.46	34.46	...	35.95	35.95	...	31.45	31.45	...	31.45	31.45
34. रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल)	...	55.47	55.47	...	58.10	58.10	...	58.10	58.10	...	...	...
35. मध्यम आय समूह के लिए किरायेती आवासन	...	1877.13	1877.13	...	1000.00	1000.00	...	1560.00	1560.00	...	1500.00	1500.00
36. एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तपोषण प्लेटफॉर्म में पूंजी समावेशन	...	...	...	...	500.00	500.00	...	...	...	...	...	...
37. कारपोरेट ऋण के लिए गारंटी योजना	60.00	...	60.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़-अन्य	9277.35	2686.37	11963.72	9415.77	64668.49	74084.26	39345.52	11199.37	50544.89	1575.66	43598.20	45173.86
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	9277.35	2686.37	11963.72	9415.77	64668.49	74084.26	39345.52	11199.37	50544.89	1575.66	43598.20	45173.86
कुल जोड़	12315.19	5557.40	17872.59	14075.64	66197.27	80272.91	45179.83	12727.98	57907.81	2400.24	46613.63	49013.87
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य राजकोषीय सेवाएं	6.22	...	6.22	7.29	...	7.29	7.08	...	7.08	6.93	...	6.93
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	240.98	...	240.98	222.66	...	222.66	204.23	...	204.23	210.06	...	210.06
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	15.67	...	15.67	52.22	...	52.22	53.52	...	53.52	45.25	...	45.25
4. विविध सामान्य सेवाएं	0.03	...	0.03	0.04	...	0.04	10000.04	...	10000.04	0.05	...	0.05
5. मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	...	272.38	272.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.04	0.04	...	0.02	0.02	...	0.04	0.04
7. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	12.93	12.93	...	18.78	18.78	...	14.72	14.72	...	15.42	15.42
जोड़-सामान्य सेवाएं	262.90	285.31	548.21	282.21	18.82	301.03	10264.87	14.74	10279.61	262.29	15.46	277.75
सामाजिक सेवाएं												
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
9. अन्य सामाजिक सेवाएं	5000.00	...	5000.00	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
10. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	5000.04	...	5000.04	0.03	0.01	0.04	0.04	0.01	0.05	0.04	0.01	0.05
आर्थिक सेवाएं												
11. कृषि वित्तीय संस्थान	124.32	...	124.32	139.20	...	139.20	139.20	...	139.20	139.20	...	139.20
12. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	61.02	...	61.02	51.05	...	51.05	51.11	...	51.11	51.12	...	51.12
13. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	205.74	...	205.74	201.68	...	201.68	197.02	...	197.02	338.53	...	338.53

(₹ करोड़)												
वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
14. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	4213.85	...	4213.85	9447.13	...	9447.13	30573.89	...	30573.89	1472.27	...	1472.27
15. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	4735.23	4735.23	...	3000.00	3000.00	...	3060.00	3060.00	...	4500.00	4500.00
16. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	...	387.62	387.62	...	406.51	406.51	...	406.50	406.50	...	291.70	291.70
17. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	62602.88	62602.88	...	9082.18	9082.18	...	41700.01	41700.01
18. कृषि वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण	...	55.47	55.47	...	58.10	58.10	...	58.10	58.10	...	...	...
19. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण	...	34.46	34.46	...	35.95	35.95	...	31.45	31.45	...	31.45	31.45
20. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	4604.93	5212.78	9817.71	9839.06	66103.44	75942.50	30961.22	12638.23	43599.45	2001.12	46523.16	48524.28
अन्य												
21. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	2447.32	...	2447.32	3954.34	...	3954.34	3953.70	...	3953.70	136.79	...	136.79
22. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	59.31	59.31	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00
जोड़-अन्य	2447.32	59.31	2506.63	3954.34	75.00	4029.34	3953.70	75.00	4028.70	136.79	75.00	211.79
कुल जोड़	12315.19	5557.40	17872.59	14075.64	66197.27	80272.91	45179.83	12727.98	57907.81	2400.24	46613.63	49013.87

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.	जोड़	(₹ करोड़)		
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश																							
1. राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लि0	2858.10	...	2858.10	2000.00	...	2000.00	1500.00	...	1500.00	3000.00	...	3000.00											
2. एडीबी और केएफडब्ल्यू को अवसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवा लि0 द्वारा ऋण की अदायगी	34.46	...	34.46	35.95	...	35.95	31.45	...	31.45	31.45	...	31.45											
3. एसडब्ल्यूएएमआईएच	1877.13	...	1877.13	1000.00	...	1000.00	1560.00	...	1560.00	1500.00	...	1500.00											
जोड़	4769.69	...	4769.69	3035.95	...	3035.95	3091.45	...	3091.45	4531.45	...	4531.45											

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **संबद्ध कार्यालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के संबद्ध कार्यालयों अर्थात वाशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो दूतावास के आर्थिक स्कन्ध आदि, फॉरवर्ड बाजार आयोग (एफएमसी), प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) एवं सोलहवें वित्त आयोग के स्थापना व्यय के लिए है।
4. **राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) लिमिटेड में अन्तरण और निवेश के लिए है और उसके प्रबंधन शुल्क के लिए है।

5. **व्यवहार्यता अंतर निधियन:** यह प्रावधान सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अंतराल निधियन (वी.जी.एफ.) के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

6. **भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के अंतर्गत ऋण प्रणाली:** यह प्रावधान रियायती वित्तपोषण, एक्जिम बैंक को पुराने व्याज अतिदेयों इत्यादि सहित भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के अंतर्गत ऋण व्यवस्थाओं के लिए व्याज समकरण सहायता के लिए है।

7. **भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ):** यह प्रावधान भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष (आईआईपीडीएफ) के संबंध में बजटीय सहायता के लिए है।

8. **आईएमएफ, दिल्ली की किराया लागत में अंशदान:** यह प्रावधान आईएमएफ, दिल्ली की किराया लागत में अंशदान के लिए है।

9. **अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी):** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान देने के लिए है।

10. **अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं::** यह प्रावधान अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए है, जिसमें तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि, अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग, राजकोषीय संबंधों संबंधी आर्थिक सहभागिता और विकास (ओईसीडी) नेटवर्क संगठनों को अंशदान, जीएफएटीएम और जीएवीआई के अंतर्गत अंशदान शामिल है।

11. **एएफडीएफ के एमडीआरआई के प्रति अंशदान:** यह प्रावधान अफ्रीकी विकास निधि (एएफडीएफ) की बहुपक्षीय ऋण राहत पहल में अंशदान करने के लिए है।

12. **आईडीए को अंशदान:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) को अंशदान देने के लिए है।

13. **अफ्रीका डिजिटल वित्तीय समावेशन सुविधा में अंशदान (एडीएफआई):** यह प्रावधान अफ्रीका विकास निधि के अफ्रीका डिजिटल वित्तीय समावेशन सुविधा (एडीएफआई) के मद में योगदान के लिए था।

14. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (अंतरराष्ट्रीय अंशदान):** यह प्रावधान अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि आदि में अंशदान) में अंशदान के लिए है।

15. **एशियाई विकास निधि में अंशदान-13:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि-13 में अंशदान करने के लिए था।

16. **एशियाई विकास निधि में अंशदान-14:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि-14 की पुनःपूर्ति में भारत के योगदान को प्रदान करने के लिए है जिसका भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2028-29 तक की चार किस्तों में किया जाएगा।

17. **एएफडीएफ के लिए अंशदान:** यह प्रावधान अफ्रीका विकास निधि (एएफडीएफ-16) के मद में योगदान के लिए है।

18. **एसएआरटीडीएसी को अंशदान:** यह प्रावधान आईएमएफ-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीडीएसी) के लिए है।

19. **एसईईटीएफ के लिए अंशदान:** यह प्रावधान साउथ-साउथ एक्सपीरियंस एक्सचेंज ट्रस्ट फंड (एसईईटीएफ) में योगदान के लिए है।

20. **क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) को योगदान:** क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) में भारत के योगदान के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

21. **महामारी रोकथाम, तैयारी और रिस्पांस के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि (पीपीपीआरएफआईएफ) (महामारी निधि):** यह प्रावधान विश्व बैंक के महामारी रोकथाम तैयारी और रिस्पांस (पीपीपीआरएफआईएफ) (महामारी निधि) के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि में योगदान करने के लिए है।

22. **उधार के लिए नई व्यवस्था:** यह प्रावधान उधार हेतु नई व्यवस्था (एनएवी) में निवेश के लिए नोट खरीद करार (एनपीए) को आगे बढ़ाने के लिए है।

23. **मुद्रा, सिक्का और टकसाल:** यह प्रावधान भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड(एसपीएमसी आईएल) से सिक्कों की खरीद के लिए है।

24. **आरक्षित निधि:** यह प्रावधान गारंटी मोचन निधि, सांवरन स्वर्ण बांड स्कीम , स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में अंतरण के लिए है।

25. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक (ब्रिक्स / सार्क/इंटरनेशनल करप्शन हंटर्स अलायंस) और जीआईजेड को सेवाकर के लिए है।

26. **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश:** इसमें अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी), यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (ईवीआरडी), अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान और भारत के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मूल्य अनुरक्षण (एमओवी) दायित्व के लिए निवेश हेतु प्रावधान शामिल है।

27. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान कालातीत मामलों में केंद्रीय प्रतिभूति पर व्याज भुगतान और सरकारी खातों में जमा दावा न की गई प्रतिभूतियों, संरक्षित बचत स्कीमों के भुगतान, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं आदि के अंतर्गत अन्य व्यय और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 के लिए कमीशन भुगतान के लिए किया जाता है। नई घोषणाओं के लिए सांकेतिक प्रावधान भी किया गया है।

28. **केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण:** यह प्रावधान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण के लिए है।

29. **सरकारी कर्मचारी को ऋण:** यह एक सम्मिश्रित मांग है जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन हेतु अपने कर्मचारियों को ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के लिए प्रावधान है। इसमें आवास खरीदने के लिए संसद सदस्यों को अग्रिम देने हेतु प्रावधान भी शामिल है। जिन प्रयोजनों के लिए सव्याज ऋण अग्रिम दिया जाता है, उनमें मकान निर्माण और कम्प्यूटरों आदि की खरीद शामिल है।

30. **लघु बचत योजनाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान के सचिवालयी व्यय और सरकार की लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए है।
31. **आवासन पर पूंजीगत परिव्यय:** यह सांकेतिक प्रावधान आईईएस अधिकारियों के लिए दिल्ली में 90 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए रखा गया है।
32. **स्वर्ण मुद्राकरण योजना:** यह प्रावधान स्वर्ण मुद्राकरण योजना, 2015 के तहत जुटाए गए सोने के मूल्य के लिए है।
33. **इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएफएस) द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती:** इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज लि. (आईएल एण्ड एफएस)द्वारा एडीबी और केएफडब्ल्यू को ऋण के भुगतान के लिए प्रावधान है।
34. **रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल):** यह प्रावधान कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आईएफएडी) को रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल)के भुगतान के लिए रखा गया है।
35. **मध्यम आय समूह के लिए किफायती आवासन:** यह प्रावधान मध्यम-आय समूह के लिए किफायती आवास निर्माण हेतु विशेष बिंडो के लिए है
36. **एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तपोषण प्लेटफॉर्म में पूंजी समावेशन:** यह प्रावधान एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तपोषण प्लेटफॉर्म में पूंजी समावेशन हेतु है जिसमें असीम अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एआईएफएल) और एनआईआईएफ अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एनआईआईएफ आईएफएल) शामिल हैं।
37. **कारपोरेट ऋण के लिए गारंटी योजना:** यह प्रावधान कारपोरेट ऋण के लिए गारंटी योजना(जीएससीडी) के लिए है।